न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 43/2017 जिला दौसा ।

1. श्रीमती लड्डो देवी बेवा खैमा , जाति कोली, निवासी ग्रम गहनौली, तहसील महवा जिला दौसा ।
2. नानगी पत्नि रामजी लाल पुत्री खैमा जाति कोली, निवासी ग्रम गहनोली, तहसील महवा हाल निवासी खरैरी, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।
3 भूरी पत्नि रामवीर पुत्री खेमा , जाति कोली, निवासी ग्रम पंचायत गहनोली, तहसील महवा, हाल निवासी ग्रम खरैरी, तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती केसन्ती देवी पत्नि कैला पुत्री जयलाल
2. श्रीमती गुड्डी देवी पत्नि भप्पू पुत्री जयलाल
समस्त जाति कोली, निवासी ग्रम गहनोली, तहसील महवा जिला दौसा, हाल निवासी नांगलपहाडी, तहसील टोडाभीम, जिला करोली ।
3. अम्रो बेवा धर्म
4. रेखा पुत्री धर्म
5. लालन्द पुत्र धर्म
6. प्रियंका पुत्री धर्म नाबालिग जरिये संरक्षिका माता अम्रो बेवा धर्म
7. दीपाराम पुत्र धर्म
8. परभाती पुत्र सुका
समस्त जाति कोली निवासी ग्रम गहनोली, तहसील महवा, जिला दौसा ।
9. ग्रम पंचायत गहनोली जरिए सरपंच/ सचिव ग्रम पंचायत गहनोली, तहसील महवा, जिला दौसा ।
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार महवा, तहसील महवा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उप खण्ड अधिकारी , महवा , जिला दौसा दिनांक 29.6.2017

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री सतीश पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्टश्री गौरी शंकर शर्मा

निर्णय

दिनांक– 6.2.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 क अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 29.6.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम गहनोली, तहसील महवा, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 506 रकबा 1.33 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर नम्बर 69 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा , खसरा नम्बर 70/2 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा का खातेदार जयलाल, प्रभाती पि. सुक्खा, जाति कोली थे । खातेदार जयलाल के फौत होने पर उसके हिस्से की भूमि का नामांतरकरण संख्या 388 ग्रम पंचायत गहनोली द्वारा खेमा, धर्म पि. जयलाल के नाम दिनांक 21.1.1982 को तस्दीक किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर मृतक खातेदार जयलाल की पुत्रियॉ केसन्ती देवी व गुड्डी देवी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.6.2017 द्वारा मृतक जयलाल की विरासत का नामांतरकरण संख्या 388 दिनांक 21.1.82 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किये जाने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्रम पंचायत गहनौली का नामांतरकरण संख्या 388 दिनांक 21.1.1982 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार महवा को मृतक जयलाल के वारिसान की जॉच कर नामांतरकरण पर पुनः आदेश पारित करने हेतु

प्रतिप्रेषित किया गया । उप खण्ड अधिकारी महवा के उक्त निर्णय के खिलाफ मृतक खातेदार जयलाल के मृतक पुत्र खैमा की विधवा श्रीमती लड्डो एवं पुत्रियॅा नानी व भूरी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स मृतक खातेदार जयलाल के मृतक पुत्र खैमा की विधवा व पुत्रियॅा है । मृतक खातेदार जयलाल की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण खैमा व धर्म के नाम तस्दीक हुआ था जिनमें से खैमा के फौत होने पर अपीलान्ट्स उसकी विधिक वारिस थी जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस तामिल कराने बिना तथा उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश से प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। उनका मुख्य रूप से कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण पक्षकारान की तलबी में चल रहा था, लेकिन अपीलान्ट्स की बिना विधिवत तलबी कराये ही प्रकरण में बहस सुन कर निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है जो खातेदार सुक्का उर्फ सुका की खातेदारी में थी जिसके फौत होने पर जयलाल व प्रभाती पुत्रान सुखा के नाम आई और जयलाल के फौत होने पर ग्रम पंचायत द्वारा मृतक जयलाल की जायन्दा पुत्रियॅा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 केसन्ती व गुड्डी को छोडते हुये केवल पुत्रान खैमा व धर्म के नाम प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक कर दिया । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार जयलाल की जायन्दा पुत्रियॅा होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत नामांतरकरण को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत मानते हुये अपीलाधीन आदेश से रेस्पोंडेन्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण मृतक जयलाल के वारिसान की जॅाच कर नामांतरकरण पर पुनः आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार महवा को रिमाण्ड किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार जयलाल की विरासत के नामांतरकरण का है । जयलाल की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा उसके पुत्र खैमा व धर्म के नाम तस्दीक किया है जबकि रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 व 2 केसन्ती व गुड्डी मृतक खातेदार जयलाल की पुत्रियॅा होने से भूमि में हिस्सा चाहती है । अपीलान्ट्स मृतक खातेदार जयलाल के पुत्र खैमा की विधवा व पुत्रियॅा है । रेस्पोंडेन्ट की प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.6.2017 द्वारा मृतक जयलाल की विरासत का नामांतरकरण संख्या 388 दिनांक 21.1.82 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किये जाने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्रम पंचायत गहनौली का नामांतरकरण संख्या 388 दिनांक 21.1.1982 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार महवा को मृतक जयलाल के वारिसान की जॅाच कर नामांतरकरण पर पुनः आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार महवा को प्रतिप्रेषित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 388 दिनांक 21.1.1982 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट केसन्ती व गुड्डी पुत्रियॅा जयलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 27.4.2016 को मियाद बाहर पेश की थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में मियाद के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार प्रकरण रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 4 की तलबी हेतु नियत था जिसमें उभयपक्षों की बहस सुने बिना ही कैम्प गहनौली में अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.6.2017 गुणावगुण पर पारित कर रेस्पोंडेन्ट की अपील स्वीकार करते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किया है एवं प्रकरण मृतक जयलाल के वारिसान की जॅाच कर नामांतरकरण पर पुनः आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार महवा को प्रतिप्रेषित किया है । हम समझते हैं कि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

जिसको नजरन्दाज किया जाना विधिसम्यक नहीं है तथा प्रकरण में अपीलान्ट्स की विधिवत तामिल कराकर उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुये उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर मियाद के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करते हुये विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण उप खण्ड अधिकारी महवा को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी महवा दिनांक 29.6.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर मियाद के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करते हुये विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर